



प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 18 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद-मथुरा, भदोही, मीरजापुर, प्रयागराज, सीतापुर एवं कन्नौज में पम्प नहर के आधुनिकीकरण की 07 परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-1377/02-56/कार्यरत लघु लिफ्ट नहरें/2025-26/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 09.03.2026, पत्रांक-2256/02-56/कार्यरत लघु लिफ्ट नहरें/2025-26/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 09.03.2026, पत्रांक-2259/02-56/कार्यरत लघु लिफ्ट नहरें/2025-26/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 09.03.2026, पत्रांक-3108/02-56/कार्यरत लघु लिफ्ट नहरें/2025-26/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 09.03.2026, पत्रांक-3109/02-56/कार्यरत लघु लिफ्ट नहरें/2025-26/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 09.03.2026, पत्रांक-3099/02-56/कार्यरत लघु लिफ्ट नहरें/2025-26/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 09.03.2026 एवं पत्रांक-2687/02-56/कार्यरत लघु लिफ्ट नहरें/2025-26/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 09.03.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक-4702-101-03-0301-24 "कार्यरत लघु लिफ्ट नहरों का आधुनिकीकरण" में प्राविधानित धनराशि ₹0 10000.00 लाख में से जनपद-मथुरा, भदोही, मीरजापुर, प्रयागराज, सीतापुर एवं कन्नौज में पम्प नहर के आधुनिकीकरण की निम्न 07 परियोजनाओं की निम्नलिखित तालिका के कॉलम-3 में अंकित पृथक-पृथक धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित कुल धनराशि ₹0 1,35,00,000/- (रूपये एक करोड़ पैंतीस लाख मात्र) व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र०	परियोजना का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु परियोजना की लागत	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1	जनपद मथुरा की डगौली पम्प नहर (क्षमता 15 क्यूसेक) के आधुनिकीकरण की परियोजना	265.31	15.00
2	जनपद भदोही की डीह पम्प नहर (क्षमता 10 क्यूसेक) के आधुनिकीकरण की परियोजना	217.81	25.00
3	जनपद मीरजापुर की धौरहा पम्प नहर (क्षमता 05 क्यूसेक) के आधुनिकीकरण की परियोजना	276.24	15.00
4	जनपद प्रयागराज की सुलमई पम्प नहर (क्षमता 10 क्यूसेक) के आधुनिकीकरण की परियोजना	285.10	30.00
5	जनपद प्रयागराज की देवरा पम्प नहर (क्षमता 10 क्यूसेक) के आधुनिकीकरण की परियोजना	178.67	30.00
6	जनपद सीतापुर की महोली पम्प नहर (क्षमता 05 क्यूसेक) के आधुनिकीकरण की परियोजना	97.87	10.00
7	जनपद कन्नौज की जसोदा पम्प नहर (क्षमता 20 क्यूसेक) के आधुनिकीकरण की परियोजना	458.87	10.00
कुल योग-			135.00

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों-

- (1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
- (2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी आपकी होगी तथा आप यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (3) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित न कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर अनुमोदित कार्य पर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिए गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
 - (6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2017/बी-3-1034/दस-2017-100(4)/2002ब0 मै0, दिनांक 21.11.17 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन कर लिया गया है।
 - (7) विभागाध्यक्ष द्वारा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।
 - (8) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
 - (9) विभागाध्यक्ष नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराएं।
 - (10) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
 - (11) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का विभागाध्यक्ष द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।
 - (12) विभागाध्यक्ष द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
 - (13) विभागाध्यक्ष अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जाएगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक-25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक-11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
 - (14) 01 प्रतिशत लेबरसेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
 - (15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,35,00,000 (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702001010301 कार्यरत लघु लिफ्ट नहरों का आधुनिकीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या- 17 /2026/454(1)/2026-001-27-10002(002)/2/2026-10, तद् दिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
 - (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
 - (3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
 - (4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
 - (5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
 - (6) संबंधित मुख्य अभियन्तागण (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, द्वारा- प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
 - (7) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
 - (8) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी सी0एम0आई0एस0 पोर्टल।
 - (9) अनु सचिव (लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
 - (10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई अनु0-9/नियोजन अनु0-3
 - (11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
 - (12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव